राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 28 SEP 2015

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद कोटा।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों को मानदेय वृद्धि के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।
प्रसंग :– आपका पत्रांक 1744–47 दिनांक 13.07.15 एवं 2620–23 दिनांक 07.09.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 10(7) ग्रावि/नरेगा/संविदा/2010 पार्ट–2 दिनांक 15.05.2015 के संबंध में कार्मिकों के पांच वर्ष पश्चात् देय वार्षिक मानदेय वृद्धि के बारे में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

I. नवीन अनुबंध अन्तर्गत 5 वें वर्ष में प्राप्त मानदेय की राशि पर 6ठे वर्ष की प्रथम तिथि से अनुबंध प्रभावी होना अपेक्षित है। आगामी वेतनवृद्धि भी इसी तिथि के आधार पर प्रभावी होगी।
II. 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को पहले ही 4 वार्षिक वृद्धियाँ मिल चुकी है। इस कारण कनिष्ठ कार्मिक का मानदेय अधिक नहीं हो सकता हैं।
III. 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले संविदा कार्मिकों के 6 ठे या 7 वें वर्ष के प्रारम्भ में 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि दे दी गयी है तो उसे संशोधित किया जावे।
IV. एन.पी.एस. की कटौती के संबंध में राज्य स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है।
V. यात्रा व्यय के लिए वर्तमान मानदेय को आधार माना जाना ही उचित होगा।
VI. श्री तेजेन्द्र कुमार वेहरा 5 वें वर्ष में रू. 14000/– मासिक प्राप्त कर रहे थे। इनसे दिनांक 16.06.2013 से प्रभावी अनुबंध रू. 14000/– मानदेय पर किया जाकर दिनांक 16.06.2014 एवं 16.06.2015 के 5 प्रतिशत वृद्धि स्वीकृत की जा सकती है।
VII. वित्त विभाग द्वारा 5 वें वर्ष में प्राप्त किये मानदेय पर ही 6 ठे वर्ष के प्रारम्भ में नये अनुबंध के निर्देश दिये है। 5 वॉ वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि वित्त विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गयी है। किसी जिले द्वारा गलत तरीके से वेतनवृद्धि दी गयी है तो वह संशोधन योग्य है एवं अधिक भुगतान वसूली योग्य होगा।
VIII. नये अनुबंध पर मानदेय प्रभावी होगे की तिथि प्रथम नियुक्ति से 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 6ठे वर्ष की प्रथम तिथि होगी यथानुसार ही नवीन अनुबंध एवं मानदेय वृद्धियां देय होगी।

भवदीय,

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
2. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस (अलावा कोटा)
3. रक्षित पत्रावली।

28/9/15
परियोजना अधिकारी ईजीएस